निर्णय न्यायालय श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां राज. [illegible]
प्रकरण सं. 27/2016
दायरा दिनांक :- 25.2.2016
निर्णय दिनांक :- 31.7.17

उनवान

दीनानाथ पुत्र मांगीलाल जाति लोधी निवासी कडोरा तहसील अटरू जिला बारां।

बनाम

1. बद्रीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नी कुन्दनलाल जाति लोधी निवासी कंपाखेड़ा तह. खानपुर जिला झालावाड़
2. छोटूलाल पुत्र गोपाल जाति लोधी निवासी कडोरा हाल बारां।
3. उर्मिला पुत्री गोपाल पत्नी रामकरण जाति लोधी निवासी कडोरा हाल मुकाम कालरा तह. अटरू
4. उमेश पुत्र नन्दलाल जाति लोधी निवासी कडोरा
5. धर्मराज पुत्र नन्दलाल जाति लोधी निवासी कडोरा
6. ममता पुत्री नन्दलाल जाति लोधी निवासी कडोरा
7. सीमा पुत्री नन्दलाल जाति लोधी निवासी कडोरा
8. राजकन्याबाई पुत्री हीराबाई पत्नी रामदयाल जाति लोधी निवासी कडोरा हाल निवासी आकाशवाणी कॉलोनी कोटा
9. मोहनीबाई पुत्री गोपालीबाई पत्नी छोटूलाल जाति लोधी निवासी कडोरा हाल निवासी कोटा
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद

वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA

निर्णय दिनांक :- 31.7.17

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपस्थित अभिभाषक 1. श्री राजेश्वरप्रसाद गोयल-वादी
2. श्री जगदीश सिंह प्रति०

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA विरुद्ध प्रति० वादीगण के नाम से इस आशय का पेश किया गया कि आराजी क्र. 537 रकबा 4.15 बीघा, क्र. 538 रकबा 5.04 बीघा मौजा फूलबड़ौदा तह. छीपाबड़ौद में स्थि

लगातार

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकार्ड खतौनी बन्दोबस्त संवत 2013-32 श्री मांगीलाल
पुत्र ओंकार जाति खाती निवासी बडोरा के खातेदारी में दर्ज थी।
खातेदार श्री मांगीलाल का स्वर्गवास हो गया है स्वर्गवास के पश्चात
मौती इन्तकाल नं. 23 दिनांक 27-7-1959 को निर्मित किया गया
जिसके मुताबिक उक्त आराजी विवाद वादी के व उसके दो भाई
भेरु व गोपाल व दो बहिन हीरा व गोपाली व पत्नी गुलाब
के नाम दर्ज कर दी और वादी खातेदार मांगीलाल का पुत्र
होने के बावजूद भी वादी का इन्तकाल में नाम दर्ज नहीं किया
और ना ही राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज किया गया।
वादी उक्त वर्णित आराजी में अपने भाईयों व बहिनों के साथ-साथ
बराबर-बराबर हिस्सेदार होने से तथा हिन्दू उत्तराधिकार
अधिनियम शामिल होने से विवादित आराजी के हिस्सा 1/5 का
सहखातेदार दर्ज किये जाने योग्य है। वादी नौकरी के सिलसिले
में अक्सर बाहर रहा और उसके विवादित आराजी के रिकार्ड
देखने का मौका ही नहीं मिला जबकि विवादित आराजी शुरू
से ही व वर्तमान में भी वादी के कब्जे काश्त में है। वादी
इतना मांगीलाल का उत्तराधिकारी होने से राजस्व रेकार्ड में
हिस्से 1/5 में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

वाद कारण उत्पन्न बाद वादी के पिता मांगीलाल
का स्वर्गवास हो जाने व दिनांक 27.7.1959 को विवादित आरा
का इन्तकाल विधि विरुद्ध तरीके से वादी का नाम दर्ज कि
निर्मित कर देने और वादी को विवादित आराजी के विवाद
नकलें प्राप्त करने पर तथा वादी के सभी भाई बहिनों का स्व
हो जाने तथा उनके वारिसान प्रतिवादीगण है उनके द्वारा वादी
नाम बतौर सहखातेदार दर्ज करा देने से दिनांक 22-6-2015 क
करने पर ग्राम दुलकडोदा में उत्पन्न हुआ विवाद यही हि
बिनाय मुताल्लिकान दावा प्रस्तुत कराया जाता है। वादी अर
स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को
समन तलब किया गया। प्रतिवादी क्र. 1, 3, 9 बावजूद तामील के
भी उप. नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की
प्रतिवादी क्रम 2, 4 व 8 जवाब पेश करना नहीं चाहने से उनका
दिनांक 24.4.2017 को बन्द कर दिया गया। वादी ने अपने पक्ष
में नकल जमाबंदी ग्राम दुलकडोदा संवत 2069-72 खाता नं
नकल जमाबंदी ग्राम दुलकडोदा संवत 2012-32 खाता नं. 27
नामान्तरण नं. 27/1822 दिनांक 27-7-59, नकल जमाबंदी संवत 202
नकल जमाबंदी संवत 2016-19 खाता नं. 27 पेश किया गया।
पत्र की छाया प्रति, परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति पेश

क्र...

धिकारी
ला बारां

(५)

वाद दर्ज कराके एवं खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार कर विपक्षी वादी के रकबा 1/5 का खातेदार कृषक घोषित करके किया जाना न्यायोचित है।

निर्णायक आदेश

उपरोक्त विवेचना द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी की राजी नामे द्वारा ग्राम फुलवरिया तह० [illegible] के ख० नं० 537 रकबा 4.15 बीघा, ख० नं० 538 रकबा 5.04 बीघा [illegible] किता 2 रकबा 9.19 बीघा में वादी को रकबा 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार डिग्री पत्र जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर [illegible])
उपजिलाधिकारी
[illegible] जिला [illegible]
उपजिलाधिकारी [illegible]

डिक्री

वाद संख्या 27/16	धारा अंतर्गत 88 RTA	निर्णय दिनांक 31.7.17
समक्ष श्री हीरालाल वर्मा RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री R.P. Goyal Adv	अभिभाषक प्रतिवादी श्री J.S. Adv.	

वाद शीर्षक

दीनानाथ पुत्र कांतिलाल जाति स्वामी निवासी बड़ोरा तह. छीपाबड़ौद

बनाम

1. कस्तूरी पुत्री भैरूलाल पत्नी कुन्दनलाल जाति स्वामी नि. कन्होडा तह. ...
2. छोटूलाल पुत्र गोपाल जाति स्वामी निवासी बड़ोरा हाल बारां
3. ... पुत्री गोपाल पत्नी ... जाति स्वामी निवासी बड़ोरा हाल ...
4. सुरेश पुत्र नन्दलाल जाति स्वामी निवासी बड़ोरा
5. धर्मराज पुत्र नन्दलाल जाति स्वामी निवासी बड़ोरा
6. गंगा पुत्री नन्दलाल जाति स्वामी निवासी बड़ोरा
7. सीमा पुत्री नन्दलाल जाति स्वामी निवासी बड़ोरा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का दावा स्वीकार किया जाता है विवादित खातेदारी भूमि ग्राम कुलबड़ौदा तह. छीपाबड़ौद के ख.नं. 537 रकबा 4.15 बीघा, ख.नं. 538 रकबा 5.04 बीघा कुल किता 2 रकबा 9.19 बीघा में वादी को हिस्सा 1/5 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ....रू0 का व्ययानुतोष..................द्वारा..................को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.7.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ... छीपाबड़ौद जिला बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner